संख्या-3 /535/26-ब0प्र0-2013-4(207)/94-टी0सी0

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2013

विषय :- शत प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की देयता के निस्तारण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2000/स0क0/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 16 अगस्त, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11016/3/2007-एस.सी.डी.-1, दिनांक 17-08-2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए रू0 39.71 लाख के केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गयी एवं राज्य स्तर पर रू0 15.94 लाख का केन्द्रांश पूर्व से उपलब्ध था। इस प्रकार विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य स्तर पर कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 55.65 लाख थी, जो चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध है। योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर उपलब्ध उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष आय व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत योजना (शत प्रतिशत भा0स0 सहायता)" हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 45.45 लाख की पूर्ण

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि रू0 45.45 लाख (रूपये पैतालीस लाख पैतालीस हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

21-छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन-	24.87 लाख
42-अन्य व्यय-	20.58 लाख
योग-	45.45 लाख

(रूपये पैतालिस लाख पैतालीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 की देयता निस्तारण हेतु मानक मद-21 के अन्तर्गत रू0 23.52 लाख तथा मानक मद-42 के अन्तर्गत रू0 20.58 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 44.10 लाख व्यय की जायेगी। शेष धनराशि रू0 1.35 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 की देयता निस्तारण हेतु मानक मद-21 के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के आवंटन/व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना मदों में नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित

http://shasanadesh.up.nic.in

कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में नहीं जमा की जायेगी। जिन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किया जाना हो, उसमें शासन की अनुमति प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना के लिए उपलब्ध व्यवस्था/नियमावली/स्थायी आदेशों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे. वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत योजना(100 प्रतिशत भा0स0 सहायता)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-1804/दस-2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

<u>संख्या- 535(1)/26-3-2013 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1

http://shasanadesh.up.nic.in

6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in